	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 23, बुधवार, शाके 1944-अप्रेल 13, 2022 *Chaitra 23, Wednesday , Saka 1944- April 13, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 12, 2022

संख्या प.1(1)न्याय/2022 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती हैः-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा	दौसा	दौसा
2	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3, ब्यावर	अजमेर	ब्यावर
3	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	अलवर	राजगढ
4	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा	अलवर	तिजारा
5	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, नागौर	नागौर (मेडता न्याय क्षेत्र)	नागौर
6	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पावटा	जयपुर जिला	पावटा
7	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,सलूम्बर	उदयपुर	सलूम्बर
8	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुरजगढ	झुंझुंनू	सुरजगढ
9	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू	टोंक	पीपलू
10	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाडा	जोधपुर जिला	बिलाडा

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा। साथ ही अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर का नाम परिवर्तित करते हुए अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, नागौर किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।